भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-330

उत्तर देने की तारीख-24/03/2025

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पदों हेतु एनएफएस उम्मीदवार

†*330. **श्री चरनजीत सिंह चन्नीः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संकाय/शिक्षकों के पदों के लिए उपयुक्त नहीं पाए गए उम्मीदवारों (एनएफएस) की संख्या के बारे में कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा किसी पद/रिक्त पद को एनएफएस घोषित करने के लिए क्या मानदंड तय किए गए हैं?

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

माननीय संसद सदस्य श्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा 'केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पदों हेतु एनएफएस उम्मीदवार' के संबंध में दिनांक 24.03.2025 को पूछा जाने वाला लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 330 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): केंद्रीय विश्वविद्यालय संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित वैधानिक स्वायत्त संगठन हैं और उनके तहत बनाए गए अधिनियमों, संविधियों, अध्यादेशों के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा सभी प्रशासनिक और शैक्षणिक निर्णय वैधानिक निकायों के अनुमोदन से लिए जाते हैं; इनमें उनकी भर्ती प्रक्रिया भी शामिल है, जो उनके वैधानिक निकायों द्वारा वैधानिक प्रावधानों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रासंगिक नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की जाती है। आवेदन एक खुले विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें सभी पात्र उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। प्रासंगिक प्रावधानों के तहत भर्ती के लिए विधिवत गठित चयन समितियां इस पद के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता के बारे में सिफारिशें करती हैं और तदनुसार, चयन समितियों की सिफारिशों के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं। चयन समिति की सिफारिशों के अनुसार सभी श्रेणियों में उपयुक्त उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है। केवल उन मामलों में जहां उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे, श्रेणी की परवाह किए बिना, नियुक्तियां नहीं की गईं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण पदों के लिए चयन समितियों द्वारा "उपयुक्त नहीं पाए गए" उम्मीदवारों की संख्या का विवरण केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। "विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता, 2018" पर यूजीसी के विनियम पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ चयन प्रक्रिया प्रदान करते हैं। उक्त यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार, अन्य के अलावा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिला/दिव्यांग श्रेणियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, यदि इनमें से किसी भी श्रेणी का कोई भी उम्मीदवार आवेदक है। यूजीसी विनियम 2018 में एनएफएस के लिए कोई विशिष्ट मानदंड नहीं हैं। चयन समितियां केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षक/संकाय के रूप में उनकी भर्ती के लिए आवेदकों की पात्रता और उपयुक्तता का आकलन करती हैं।

****